भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 36
22.07.2024 को उत्तर के लिए

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के प्रयास

36: श्रीमती माला राय:

क्या **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में आने वाली प्राथमिक चुनौतियों का ब्यौरा क्या है; और
(ख) सरकार द्वारा इन मुद्दों के समाधान के लिए प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) को प्रस्तुत किए गए भारत के तीसरे राष्ट्रीय संप्रेषण के अनुसार, भारत बाढ़ और सूखे से लेकर भीषण गर्मी और ग्लेशियरों के पिघलने तक के जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों का सामना करता है। जलवायु परिवर्तन के कुप्रभाव जैव विविधता और वन; कृषि; जल संसाधन; तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र; मानव स्वास्थ्य; जेंडर; शहरी और बुनियादी ढाँचा; और आर्थिक लागत जैसे क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से उत्पन्न जोखिम संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं और परिणामस्वरूप आर्थिक विकास की चुनौतियों में वृद्धि होती है। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और उपशमन संबंधी कार्यकलापों से भारत सहित विकासशील देशों, पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता है। शेष कार्बन बजट की कमी और विकसित देशों जो वर्तमान जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, से वित्त, प्रौद्योगिकी अंतरण तथा क्षमता संवर्धन के रूप में कार्यान्वयन के साधनों का प्रावधान, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। विकसित देश यथोचित पैमाने पर, उचित क्षेत्र में तथा शीघ्रता से वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने और अपने दायित्व को पूरा करने में पीछे रहे हैं। भारत के जलवायु अनुकूलन संबंधी कार्यकलापों को अधिकांशत: घरेलू संसाधनों के जरिए वित्तपोषित किया जाता है।

(ख) भारत के लिए अनुकूलन प्राथमिकताओं की व्यापक श्रेणियों की पहचान इस प्रकार की गई है: (i) जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जोखिमों और अनुकूलन के विषय में ज्ञान प्रणालियों से संबंधित प्राथमिकताएं (ii) जलवायु परिवर्तन के जोखिम के एक्सपोजर को कम करने से संबंधित प्राथमिकताएं; और (iii) सहन क्षमता और अनुकूलन क्षमता बढ़ाने से संबंधित प्राथमिकताएं। सरकार जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) को कार्यान्वित कर रही है, जो सौर ऊर्जा, ऊर्जा की बचत में वृद्धि, जल, कृषि, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र, संधारणीय पर्यावास, हरित भारत, मानव स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यनीतिक ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में संचालित राष्ट्रीय मिशनों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के कार्यकलापों के लिए व्यापक रूपरेखा उपलब्ध कराती है। इन मिशनों को संबंधित नोडल मंत्रालयों और विभागों द्वारा संस्थागत और कार्यान्वित किया जाता है। इनमें से अधिकांश मिशन, अन्य बातों के साथ-साथ, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए अनुकूलन संबंधी कार्यकलापों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

एनएपीसीसी के अनुरूप, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित राज्य कार्य योजनाएँ (एसएपीसीसी) तैयार की हैं, जिन्हें जलवायु परिवर्तन से संबंधित राज्य-विशिष्ट मुद्दों का उचित उपशमन और अनुकूलन उपायों के माध्यम से समाधान करने के लिए बनाया गया है। एसएपीसीसी को प्रत्येक राज्य की विभिन्न पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर विचार करते हुए संदर्भ-विशिष्ट बनाया गया है।

अगस्त 2022 में, भारत ने जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने हेतु वैश्विक स्तर पर कार्रवाई को सुदृढ़ करने की दिशा में भारत के योगदान को बढ़ाने के लिए अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को अद्यतित किया, जैसा कि पेरिस समझौते के तहत सहमति हुई थी। अद्यतित एनडीसी के एक हिस्से के रूप में, भारत ने व्यक्तियों और समुदायों के व्यवहार और दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करके जिम्मेदारी के साथ उपभोग को बढ़ावा देने के लिए मिशन 'LiFE' (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) की अवधारणा पेश की है।

******